भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 582

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

फिनटेक ऐप्स पर नियंत्रण

582. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धन शोधन और ऐसी अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे फिनटेक ऐप्स की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण लागू करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऑनलाइन की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी ऑनालाइन धोखाधड़ी को होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सरकार एक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), क्षेत्रीय नियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में है।

इसमें फिनटेक एप्लिकेशन भी शामिल हैं जिनका दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

<u>ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियामक और कानूनी तंत्र</u>

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- पहचान की चोरी (धारा 66ग), कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी (धारा 66घ), कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ (धारा 65), और संरक्षित प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच (धारा 70(3)) जैसे साइबर अपराधों के लिए अर्थदंड/दंड (धारा 70(3))
- **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क** सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ब्लॉकिंग आदेशों को सशक्त बनाती है। अवैध डिजिटल ऋण आवेदनों को ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए गए हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

- फिनटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए अपराधों सहित धोखाधड़ी, जालसाजी और साइबर-सक्षम अपराधों से निपटने के लिए कानूनी तंत्र को सुदृढ़ किया गया।
- धारा 319 (2) में प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी करने के लिए पांच साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

- वित्तीय साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल रिकॉर्ड के निर्माण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धोखे के मामलों में धारा 318 और 336 को भी लागू किया जा सकता है
- धारा 111 संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट सहित गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए न्यूनतम पांच साल की कैद (गैर-जमानती), आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ दंडित करती है

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

- अपराध की आय के शोधन की पहचान, पता लगाने और मुकदमा चलाने के लिए वैधानिक ढांचा
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपराध की संदिग्ध अवैध आय से जुड़े मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी नामित किया गया है
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिनटेक इकोसिस्टम सहित किसी भी माध्यम से ऐसी आय उत्पन्न या प्रसारित होने पर कार्रवाई करता है

ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए किए गए उपाय

- समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की गई है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है
- फंड डायवर्जन को रोकने के लिए सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम (हेल्पलाइन 1930) लॉन्च किया गया
    - अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि की बचत हुई है
    - ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया
- साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) बैंकों, मध्यस्थों, दूरसंचार संस्थाओं और एलईए के बीच वास्तविक समय के समन्वय को सक्षम बनाता है।
- समन्वय प्लेटफॉर्म की स्थापना साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए एलईए के लिए एक मंच और डेटा कोष के रूप में की गई।
- पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए साइट्रेन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
- साइबर धोखाधड़ी से जुड़े संदिग्ध संचार की रिपोर्ट करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और 'चक्षु' सुविधा शुरू की गई।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं।
केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एलईए के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परामर्शी और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी पहलों में सहायता करती है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों पर राज्यों के सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट को https://www.ncrb.gov.in/ से देखा जा सकता है ।

****